ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 78

भू-संसाधन विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2003-2004 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		1000.00	3.81	1003.81	950.00	3.62	953.62	1050.00	3.66	1053.66
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**1000.00**	**3.81**	**1003.81**	**950.00**	**3.62**	**953.62**	**1050.00**	**3.66**	**1053.66**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	3.81	3.81	...	3.62	3.62	...	3.66	3.66
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम										
बंजर भूमि विकास										
2. राष्ट्रीय बंजर भूमि	2501	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
विकास बोर्ड	3601	6.00	...	6.00	3.00	...	3.00	5.00	...	5.00
	जोड़	*8.00*	*...*	*8.00*	*4.00*	*...*	*4.00*	*6.00*	*...*	*6.00*
3. एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजनाएं स्कीम	2501	361.00	...	361.00	356.00	...	356.00	313.00	...	313.00
	3601	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	जोड़	*362.00*	*...*	*362.00*	*357.00*	*...*	*357.00*	*314.00*	*...*	*314.00*
4. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	2501	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00	295.00	...	295.00
5. मरुस्थलीय क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम	2501	185.00	...	185.00	185.00	...	185.00	215.00	...	215.00
6. सूखा सुरक्षा हेतु विशेष कार्यक्रम	2501	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00
7. प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण	2501	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00
	3601	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00
	जोड़	*15.00*	*...*	*15.00*	*14.00*	*...*	*14.00*	*15.00*	*...*	*15.00*
भूमि सुधार										
8. भूमि सुधार	2506	1.00	...	1.00	0.60	...	0.60	1.00	...	1.00
	3601	77.50	...	77.50	43.90	...	43.90	52.50	...	52.50
	3602	1.50	...	1.50	0.50	...	0.50	1.50	...	1.50
	जोड़	*80.00*	*...*	*80.00*	*45.00*	*...*	*45.00*	*55.00*	*...*	*55.00*
9. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए बनाई गई परियोजनाओं/ योजनाओं के संबंध में एकमुश्त प्रावधान	2552	100.00	...	100.00	95.00	...	95.00	100.00	...	100.00
कुल जोड़		***1000.00***	***3.81***	***1003.81***	***950.00***	***3.62***	***953.62***	***1050.00***	***3.66***	***1053.66***
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय आयोजनाः										
1. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	12501	820.00	...	820.00	810.00	...	810.00	895.00	...	895.00
2. भूमि सुधार	12506	80.00	...	80.00	45.00	...	45.00	55.00	...	55.00
3. उत्तर पूर्वी क्षेत्र	22552	100.00	...	100.00	95.00	...	95.00	100.00	...	100.00
जोड़		**1000.00**	**...**	**1000.00**	**950.00**	**...**	**950.00**	**1050.00**	**...**	**1050.00**

1. इसके अन्तर्गत विभाग के सचिवालय-व्यय के लिए प्रावधान है।

2. भू-संसाधन विभाग मुख्यतः गैर-वन क्षेत्रों में बंजरभूमि के विकास के लिए उत्तरदायी है, जिसका उद्देश्य भूमि के विकृतिकरण पर नियंत्रण करना, ऐसी बंजर भूमि को स्थायी उपयोग में लाना और जैव पदार्थों, विशेषतया जलावन एवं चारे, की उपलब्धता में वृद्धि करना है। यह विभाग लोगों का सहयोग प्राप्त करने और इसके कार्यक्रमों के अंतर्गत परियोजनाओं के योजना-निर्माण तथा कार्यान्वयन के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग से लाभ उठाता है।

3. समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम एक चालू योजना है, जिसके अन्तर्गत बड़ी परियोजनाओं को लघु जल संभर के आधार पर शुरु किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत परियोजनाएं सामान्यतया गैर डीपीएपी/गैर डीडीपी ब्लाकों में मंजूर की जाती हैं।

4. सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम एक क्षेत्रक विकास कार्यक्रम है जिसे भूमि, जल और मानव ससाधनों के इष्टतम उपयोग की नीति के आधार पर दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में सूखे की समस्या से निपटने के लिए तैयार किया गया है। यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है जिसे बराबर की राशियों के आधार पर केन्द्र और राज्यों द्वारा निधियां प्रदान की जाती हैं। तथापि, पहली अप्रैल, 1999 से केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 75:25 के आधार पर निधियां आवंटित की जाएंगी। यह कार्यक्रम 16 राज्यों के 182 जिलों में 972 ब्लाकों में चलाया जा रहा है।

5. मरुभूमि विकास कार्यक्रम का उद्देश्य मरुभूमिकरण को नियंत्रित करना

और दीर्घावधि में पारिस्थितिकी संतुलन की बहाली के लिए भूमि, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना, उनका विकास करना और उपयोग में लाना तथा सिंचाई, वनरोपण, शुष्क भूमि में खेती करने आदि के माध्यम से उत्पादन, आय और रोजगार के स्तरों में भी वृद्धि करना है। वर्ष 1995-96 से मरुभूमि क्षेत्रों की पहचान तीन श्रेणियों के अन्तर्गत, यथा गर्म रेतीले शुष्क क्षेत्र, गर्म शुष्क क्षेत्र और ठंडे शुष्क क्षेत्र के रूप में की गयी है। आवंटन का विभाजन केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 के आधार पर किया जाता है। यह कार्यक्रम 7 राज्यों के 40 जिलों में 235 ब्लाकों में चलाया जा रहा है।

6. सूखे से प्रभावी सुरक्षा तथा मरुभूमिकरण को नियंत्रित करने के लिए राजस्थान के बड़े रेगिस्तानी क्षेत्रों के 10 जिलों में शुरु किए जाने वाले प्रस्तावित एक विशेष कार्यक्रम के लिए प्रावधान रखा गया हैं।

7. प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण स्कीम के लिए प्रावधान किया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत जो परियोजनाएं सरकारी भूमि तथा समुदाय की भूमि पर चल रही हैं उन्हें 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है । निजी भूमि पर चल रही परियोजनाओं के खर्चों को केन्द्र सरकार और किसानों/निगम निकायों के बीच 60:40 में विभाजित किया जाता है।

8. भूमि सुधार के अन्तर्गत राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और भूमि के रिकार्डों को अद्यतन करने की स्कीम के अन्तर्गत राज्यों को 50:50 के आधार पर और संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। भूमि के रिकार्डों को कम्प्यूटरीकृत करने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम भी कार्यान्वयनाधीन है। यह एक 100 प्रतिशत सहायता-अनुदान प्राप्त स्कीम है। देश में अब तक 582 जिलों को कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा चुका है और यह स्कीम देश की 2970 तहसीलों/तालुकों/मंडलों में प्रचालित की जा चुकी है ।

9. सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों के लाभ के लिए परियोजनाओं/ योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान की व्यवस्था की गई है।